<u>पीत ज्वर वैक्सीन लगवाने वालो के लिए संबंधित जानकारी</u>

1. पीत ज्वर एक रोगवाहक जनित रोग है जो फ्लेविवायरस जीनस के आर्बोवायरस के कारण होता है और एडीज प्रजाति के मच्छरों द्वारा फैलाया जाता है ।
2. भारत पीत ज्वर की बीमारी का स्थानिक देश नहीं है |
3. अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका के कुछ देश पीत ज्वर की बीमारी के लिए स्थानिक देश माने जाते हैं।
4. इसके टीकाकरण से पीत ज्वर के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो जाती है। अत:, आप सुरक्षित रूप से उन स्थानिक देशों की यात्रा कर सकते हैं और हमारे देश में पीत ज्वर की बीमारी के प्रवेश को भी रोक सकते हैं |
5. पीत ज्वर प्रभावित देशों की सूची:

<u>अफ्रीका:</u>

1. अंगोला 2. बेनिन 3. बुर्किना फासो 4. बुरुंडी 5. कैमरून 6. मध्य अफ्रीकी गणराज्य 7. चाड 8. कांगो 9. आइवरी कोस्ट 10. लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो 11. इक्वेटोरियल गिनी 12. इथियोपिया 13. गैबॉन 14. गाम्बिया 15. घाना 16. गिनी 17. गिनी-बिसाऊ 18. केन्या 19. लाइबेरिया 20. माली 21. मॉरिटानिया 22. नाइजर 23. नाइजीरिया 24. रवांडा 25 सेनेगल 26. सिएरा लियोन 27. सूडान 28. दक्षिण सूडान 29. टोगो 30. युगांडा

<u>दक्षिणी अमेरिका:</u>

31. अर्जेंटीना 32. बोलीविया 33. ब्राजील 34. कोलंबिया 35. इक्वाडोर 36 फ्रेंच गुयाना 37 गुयाना 38. पनामा 39. पैराग्वे 40. पेरू 41. सूरीनाम 42 त्रिनिदाद और टोबैगो 43. वेनेज़ुएला

उपर्युक्त देशों में जाने वाले यात्रियों के लिए टीकाकरण आवश्यक होगा ।

6. अपनी यात्रा का प्रमाण जैसे वीज़ा आवेदन/टिकट/नौकरी का प्रस्ताव/व्यावसायिक यात्रा निमंत्रण अपने साथ लाना अधिमान्य होगा । नाविकों के पास वैध सी.डी.सी. होना चाहिए ।

7. इस पीत ज्वर टीकाकरण केंद्र की जानकारी:

i) टीकाकरण, सरकारी छुट्टियों को छोड़कर, **सोमवार** और **गुरुवार** को पीत ज्वर टीके का स्टॉक उपलब्ध होने तक किया जाता है |

ii) पंजीकरण और समय: टीकाकरण पहले से ली गई अपॉइंटमेंट के आधार पर किया जाता है| पंजीकरण टेलीफोन नंबर 01792-272538/273209 पर फ़ोन करके अथवा अपने मोबाइल नंबर का उल्लेख करते हुए cridispensary 1903@gmail.com पर ईमेल भेजकर करवाया जा सकता है।

iii) *वैक्सीन लगवाने के दिन और समय: सोमवार और गुरुवार को प्रातः 9.30 बजे से 11 बजे तक । प्रातः 11 बजे के पश्चात पहुंचने वाले उन व्यक्तियों की अपॉइंटमेंट रद्द की जा सकती है जिन्होंने अपने आगमन की देरी की सूचना पहले ही केंद्र को न दी हो |

iv) पीत ज्वर वैक्सीन की कीमत 300/- रु. प्रति खुराक है |

v) भुगतान का तरीका :

क) एन.टी.आर.पी.- कृपया हमारी वेबसाइट www.crikasouli.nic.in पर जाएं । "एन.टी.आर.पी. भारतकोश के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान" पर क्लिक करें। फिर "यहां क्लिक करें" को चुनें, तब आप भारतकोश की वेबसाइट पर पहुँच जाएँगे । "त्वरित भुगतान" पर क्लिक करें। मंत्रालय/विभाग की स्क्रॉल डाउन सूची से 017 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण को चुनें । "उद्देश्य" के अंतर्गत सूची को नीचे स्क्रॉल करके पीत ज्वर टीकाकरण शुल्क (कें.अ.सं. कसौली) चुनें। नेक्स्ट क्लिक करें और रूपये 300/- की राशि दर्ज करें | टिप्पणी के तहत अपना पासपोर्ट नंबर डालें । नेक्स्ट क्लिक करें और जमाकर्ता का विवरण दर्ज करें और फिर वांछनीय भुगतान माध्यम का चयन करके आगे बढ़ें |

ख) नकद (टेंडर सटीक परिवर्तन)

vi) पीत ज्वर केंद्र का पता: उपचार केंद्र, मुख्य परिसर, केंद्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली, हिमाचल प्रदेश-173204

vii) फोन नंबर - 01792-272538/273209

viii) हमारे कार्यालय तक पहुंचने के लिए गूगल मानचित्र का लिंक: https://maps.app.goo.gl/LSqkNnFUKaYNAXXq7?g_st=ig

ix) नजदीक के अन्य पीत ज्वर टीकाकरण केंद्र का पता: सिविल अस्पताल, फ़ेज 6, सेक्टर 56, साहिबजादा अजीत सिंह नगर (मोहाली), पंजाब 160055 (मंगलवार/शुक्रवार के दिन)

8. **<u>पंजीकरण प्रक्रिया के बारे में सामान्य जानकारी:</u>**

क) **<u>यात्रियों का ऑनलाइन पंजीकरण:</u>**

दिए गए टीकाकरण करवाने वालों की निर्धारित तिथि को मिलने का निश्चित समय देने के लिए, पहले आओ पहले पाओ के आधार पर इस कार्यालय में आपके प्रातः 11 बजे पहुँचने के आधार पर एक सूची तैयार की जाती है और यदि आप टीकाकरण सत्र के लिए देरी से आते हैं तो इस सूची के आधार पर आप टीकाकरण का दावा नहीं कर सकते हैं। टीकाकरण के लिए देरी से पहुंचने पर आपका नाम सूची के अंत में दर्ज किया जायेगा और आपको अपनी बारी का इंतजार करना होगा अथवा यहाँ तक कि आपको टीकाकरण के लिए दिया गया समय रद्द भी किया जा सकता है। यदि आप किसी आपातकालीन कारण या स्वास्थ्य कारणों से आने में असमर्थ हैं तो आप टेलीफोन/ईमेल द्वारा सोमवार/गुरुवार से एक कार्य दिवस पहले सूचित कर दें, ताकि हम अन्यों के लिए आसानी से व्यवस्था कर सकें ।

पीत ज्वर का टीका 2/5/10 खुराक की वायल में होता है। स्टॉक में वैक्सीन की वायलों की उपलब्धता के आधार पर, इसे तभी खोला जाएगा जब खुराकों के बराबर यात्री उपलब्ध होंगे, और दूसरों को 2/5/10 के बैच मिलने तक इंतजार करना होगा ताकि वैक्सीन का नुकसान न हो । 2 खुराकों वाली वायल की उपलब्धता के मामले में, यह केंद्र दिन के अंतिम बैच में टीकाकरण के लिए आने वाले सभी लोगों को समायोजित कर सकता है ।

हमारे पास बहुत से वॉक-इन यात्री भी आते हैं जिनके मामलों पर दी गई सूची के बाद ही विचार किया जाएगा | इसलिए यात्रियों के अंतिम बैच को टीकाकरण मिलने की संभावना हो सकती है यदि यह संख्या वायल में उपलब्ध मौजूद खुराकों से मेल खाती है।

यदि 5/10 बैचों के लिए टीका लेने वालो की सही संख्या नहीं होती है, तो जो यात्री बच जाते हैं, उन्हें अगले टीकाकरण दिवस के लिए पहली प्रतीक्षा सूची में समायोजित किया जाएगा और उन्हें सुबह 11 बजे तक अवश्य टीकाकरण केंद्र पर पहुंचना होगा । यदि यात्री अन्य केंद्रों पर टीकाकरण के लिए जाने का निर्णय लेता है, तो अपना नाम प्रतीक्षा सूची से हटाने के लिए हमें सूचित कर सकते हैं।

आम तौर पर हम टीकाकरण सत्र 5 या 10 व्यक्तियों के बैच में करते हैं।
आपकी अपोइन्टमेंट की हमारे द्वारा पुष्टि किए जाने पर, आपको आवश्यक रूप से सुबह 11 बजे तक पहुंचना होगा तभी बनाई गई सूची के अनुसार आपका टीकाकरण हो पायेगा |

ख) <u>टीकाकरण के दिन टीकाकरण के लिए वॉक-इन पंजीकरण: -</u>

केंद्र में पंजीकरण का समय: वॉक-इन विमर्श के लिए प्रातः 11 बजे
टीकाकरण सत्र का समय: प्रातः 9.30 बजे से
देरी से आने वालों का पंजीकरण: सूची के अनुसार पंजीकृत व्यक्तियों के पश्चात उन्हें टीका लगाया जाएगा

पंजीकरण का समय समाप्त होने के पश्चात केवल अगले टीकाकरण दिवस के लिए पंजीकरण किया जाएगा

फॉर्म भरने और टीकाकरण कार्ड पर हस्ताक्षर करने के लिए केवल नीली या काली स्याही वाला अपना बॉल पॉइंट पेन साथ लाएँ |

<u>अनुसरण के लिए सामान्य अनुदेश:</u>

1) पीत ज्वर के टीके के लिए सभी यात्रियों को अपने पास कोविड-19 टीकाकरण का प्रमाणपत्र (बाल टीकाकरण कार्ड यदि बच्चा केवल 9 महीने और उससे अधिक का है) और उसे पीत ज्वर वैक्सीन लगनी है तो जांच के लिए इसकी प्रतिलिपि लानी होगी।

2) सभी यात्रियों को अच्छी तरह से नाश्ता लिया होना चाहिए और खाली पेट नहीं होना चाहिए ।

3) वैक्सीन दिए जाने के बाद 30 मिनट निगरानी समय होता है ।

4) निगरानी समय सफलतापूर्वक समाप्त होने के बाद ही वापसी यात्रा की योजना बनाई जाए ।

5) टीकाकरण के दिन सभी को मूल पासपोर्ट इस कार्यालय में लाना **अनिवार्य** है । यदि मूल पासपोर्ट को वीजा प्रयोजन के लिए दूतावास/वाणिज्य दूतावास में जमा किया गया हो, तो संबंधित ईमेल की प्रतिलिपि प्रस्तुत करनी होगी और टीकाकरण के दिन इस कार्यालय में पासपोर्ट के पहले और अंतिम पृष्ठ की एक फोटोकॉपी भी लानी होगी।

6) जिन बच्चों की उम्र 09 महीने से अधिक है और जिन्होंने पिछले 1 महीने में कोई अन्य टीका नहीं लिया है, वे टीकाकरण के लिए पात्र हैं । बच्चों के मामले में, माता-पिता को अपने बच्चे का टीकाकरण कार्ड साथ लाना होगा ।

7) ऐसे व्यक्ति जो गंभीर/दीर्घकालिक बीमारियों का इलाज करवा रहे हैं/दवा ले रहे हैं उन्हें अपनी बीमारी और इसके लिए लिए जा ले रहे उपचार के बारे में बताना होगा। उन्हें टीकाकरण के दिन उपचार की फ़ाइल/नवीनतम दवाओं की पर्ची अपने साथ लानी होगी ।

8) इसके अतिरिक्त, सभी को यहाँ पहुँचने पर सहमति फॉर्म भरना और हस्ताक्षर करना अनिवार्य है, जो वैक्सीन से जुड़े जोखिमों/दुष्प्रभावों से संबंधित है। यह सहमति फॉर्म हमारी वेबसाइट से डाउनलोड करके भी भरा जा सकता है।

9) सभी को कोविड सुरक्षा मानदंडों जैसे मास्क पहनने (सर्जिकल या एन-95) का पालन करना आवश्यक है और पूरे टीकाकरण सत्र के दौरान सुरक्षित दूरी बनाए रखना भी अनिवार्य होगा ।

10) जिन लोगों ने पीत ज्वर टीकाकरण पहले करवाया है, चाहे कितने ही वर्ष पहले क्यों न करवाया गया हो, उन्हें दोबारा टीकाकरण करवाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह स्वत: जीवनपर्यंत वैध है-

https://www.ihpoe.mohfw.gov.in/assets/pdf/YF Booster.pdf

यह घोषणापत्र आपके पास स्वतंत्र रूप से यात्रा करने के लिए पर्याप्त है, भले ही पुराने टीकाकरण कार्डों में इसकी वैधता अवधि 10 वर्ष बताई गई हो, चूँकि वर्ष 2016 से पहले सभी को हर 10 साल में बूस्टर खुराक लेना आवश्यक था । (कृपया ध्यान दें क्योंकि इससे अन्य लाभार्थियों को इस वैक्सीन का लाभ उठाने में मदद मिलेगी, जिसकी आपूर्ति अब पूरे भारत में कम है|)

नोट: उन व्यक्तियों के लिए क्वारंटाइन से कोई छूट नहीं है जो टीका लेने के लिए चिकित्सकीय रूप से स्वस्थ नहीं हैं, उन्हें यात्रा करने की अनुमति है परंतु पीत ज्वर संक्रमण के प्रवेश को रोकने के लिए उन्हें प्रत्येक देश के लिए निर्धारित नियमों का पालन करते हुए नियंत्रण उपाय करने होंगे | पीत ज्वर छूट प्रमाणपत्रों को केवल यात्रा प्रयोजनों के लिए अनुरोध के आधार पर दिया जाता है ।

अधिक जानकारी के लिए https://www.ihpoe.mohfw.gov.in/vaccination.php पर जाएं

9. **प्रमाणपत्र की वैधता:**

पीत ज्वर टीकाकरण छुट प्रमाणपत्र केवल तभी वैध माना जाएगा जब इसे सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त/अधिकृत पीत ज्वर टीकाकरण केंद्र द्वारा जारी किया गया हो एवं जिस पर चिकित्सा अधिकारी के हस्ताक्षर और अधिकृत पीत ज्वर टीकाकरण केंद्र की मुहर लगी हो ।

यदि इसका टीका पहली बार लगवाया गया है तो टीका लगाए गए व्यक्ति के लिए टीकाकरण की वैधता 10वें दिन से शुरू होती है एवं जीवनपर्यंत रहती है ।

जो व्यक्ति (किसी भी कारण से) पुन: टीका लगवा रहे हैं, उनके लिए वैधता उसी दिन से शुरू हो जाती है ।

10. पीत ज्वर का टीका लगवाने से पहले, लाभार्थियों के लिए आवश्यक स्वास्थ्य जानकारी पढ़ लें |

1. पीत ज्वर का टीका किसे नहीं लगवाना चाहिए?

* जिसे अंडे, चिकन प्रोटीन, या जिलेटिन से एलर्जी हो
* जिसे पहले पीत ज्वर का टीका लगवाने से गंभीर एलर्जी हुई हो
  (यदि आपको कोई गंभीर एलर्जी है तो अपने डॉक्टर को बताएं)

- महिलाओं जो गर्भवती हैं, या अभी या अगले दो सप्ताह में गर्भवती हो सकती हैं
- 9 महीने से कम उम्र के बच्चे (भारत सरकार के मौजूदा मानदंडों के अनुसार),
- एचआईवी/एड्स से ग्रसित व्यक्ति
- जिनकी प्रतिरक्षा प्रणाली कैंसर या अन्य चिकित्सीय स्थितियों, प्रत्यारोपण, या विकिरण या दवा उपचार (जैसे स्टेरॉयड या कोर्टिसोन, कैंसर कीमोथेरेपी, या अन्य दवाएं जो प्रतिरक्षा कोशिका प्रक्रिया को प्रभावित करती हैं) के कारण कमजोर हो गई हो ।
- जिन व्यक्तियों को गंभीर/मध्यम बीमारी है (बुखार के साथ या बिना बुखार के) उन्हें इस टीके को तब तक नहीं लगवाना चाहिए जब तक वे स्वस्थ न हो जाएं ।
- जिन्हें थाइमस विकार है, जैसे मायस्थेनिया ग्रेविस, डिजॉर्ज सिंड्रोम, या थाइमोमा या थाइमस हटा दिया गया है ।
- जिन्हें लीवर या किडनी की कोई गंभीर बीमारी है |

2. अन्य सलाह

- स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पीत ज्वर के खतरे वाले क्षेत्र में यात्रा करने से बचना चाहिए या अपनी यात्रा स्थगित कर देनी चाहिए |
- 60 वर्ष और उससे अधिक उम्र के वयस्कों में टीकाकरण के बाद गंभीर समस्याओं का खतरा बढ़ सकता है।

3. टीकाकरण के हल्के (माइल्ड) दुष्प्रभाव

- पीत ज्वर का टीका लगवाने से बुखार हो सकता है और जहाँ टीका लगाया गया हो वहां ख़राश, दर्द, लालिमा या सूजन हो सकती है । ये समस्याएं 4 में से 1 व्यक्ति में हो सकती हैं । ये समस्याएँ आम तौर पर टीकाकरण के तुरंत बाद शुरू होती हैं एवं एक सप्ताह तक रह सकती हैं |
- अधिकांश लोगों की बांह में हल्का दर्द होगा
- टीका लगवाने के 3-9 दिन बाद 2-10% लोगों को थकान, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, 24 घंटों तक बुखार हो सकता है |
- 1% को नियमित गतिविधियों में कटौती करनी पड़ती है |

4. टीकाकरण के अधिक गंभीर दुष्प्रभाव

- टीके से गंभीर क्षति या मृत्यु होने का जोखिम बेहद कम है।
- टीके के घटक से गंभीर एलर्जी प्रतिक्रिया होने की संभावना (58,000 में लगभग 1 व्यक्ति) को हो सकती है ।
- गंभीर तंत्रिका तंत्र प्रतिक्रिया होने की संभावना (125,000 में लगभग 1 व्यक्ति) को हो सकती है ।
- अंग विफलता के साथ जीवन-घातक गंभीर बीमारी होने की संभावना (250,000 में लगभग 1 व्यक्ति) को हो सकती है । इस दुष्प्रभाव से पीड़ित आधे से अधिक लोगों की मृत्यु हो जाती है । ये आखिरी दो समस्याएँ बूस्टर डोज लगवाने के बाद कभी भी रिपोर्ट नहीं की गईं हैं ।
- 130,000 में से 1 को तत्काल अतिसंवेदनशीलता - दाने, खुजली, बेहोशी या अस्थमा हो सकता है यही कारण है कि आपको टीका लगवाने के बाद क्लिनिक में 30 मिनट तक इंतजार करने की आवश्यकता है ।

- 0.09-2.5 प्रति मिलियन को कई अंगों जैसे फेफड़े, गुर्दे, लीवर, प्लीहा, त्वचा, रक्त प्रवाह आदि में सूजन हो सकती है,।
- 8 मिलियन में से 1 को एन्सेफलाइटिस (मस्तिष्क की सूजन) हो सकता है |

5. गंभीर प्रतिक्रिया होने की स्थिति में क्या होगा?

क) मुझे किस चीज़ पर ध्यान देना होगा?

* किसी भी असामान्य स्थिति पर ध्यान दें, जैसे तेज बुखार, व्यवहार में बदलाव, या फ्लू जैसे लक्षण।

* टीकाकरण के पश्चात कुछ मिनटों से लेकर कुछ घंटों के भीतर एलर्जी की प्रतिक्रिया के संकेतों में सांस लेने में कठिनाई, आवाज बैठना या घरघराहट, पित्ती, पीलापन, कमजोरी, दिल की तेज़ धड़कन, या चक्कर आना शामिल हो सकते हैं।

ख) मुझे क्या करना होगा?

* डॉक्टर को बुलाएँ या व्यक्ति को तुरंत डॉक्टर के पास ले जाएँ।

* डॉक्टर को बताएं कि क्या हुआ, किस तारीख और समय को हुआ और कब टीका लगाया गया था |

पीत ज्वर टीकाकरण छूट प्रमाणपत्र के लिए सामान्य अनुदेश

विशेष रूप से अफ्रीका या लैटिन अमेरिका (पीत ज्वर स्थानिक देशों से आने वाले) से एशिया आने वाले यात्रियों के पास पीत ज्वर टीकाकरण का प्रमाण पत्र होना चाहिए । यदि टीका न लगवाने के लिए चिकित्सकीय कारण हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियमों के अनुसार इस प्रमाण पत्र को उपयुक्त प्राधिकारियों द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए ।

निम्न चिकित्सकीय स्थितियां जहां पीत ज्वर टीकाकरण निषिद्ध है (जहां छूट प्रमाणपत्र जारी किया जा सकता है) :-

- 9 महीने से कम उम्र के बच्चे (महामारी के दौरान 6-9 महीने के बच्चों को छोड़कर, जहां बीमारी का खतरा टीके के प्रतिकूल प्रभाव से अधिक हो)।
- गर्भवती महिलाएं - (पीत ज्वर के फैलने की स्थिति को छोड़कर जब इसके संक्रमण का खतरा अधिक हो) |
- अंडे के प्रोटीन से गंभीर एलर्जी वाले व्यक्ति; और
- लक्षणात्मक एचआईवी/एड्स या अन्य कारणों से या थाइमस विकार होने के कारण गंभीर प्रतिरक्षाविहीनता वाले व्यक्ति ।

प्रक्रिया जिनका पालन करना होगा :

- छूट प्रमाण पत्र केवल नामोद्दिष्ट (डेजिगनेटेड) पीत ज्वर टीकाकरण केंद्र के चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किया जा सकता है |

- छूट प्रमाण पत्र प्राप्त करने के इच्छुक प्रत्येक व्यक्ति को उसकी,चिकित्सा स्थिति/मानदंड (जैसा कि ऊपर बताया गया है) के संबंध में उपचार करने वाले डॉक्टर/विशेषज्ञ से एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसके आधार पर छूट प्रमाण पत्र जारी किया जा सके ।

- इलाज करने वाले डॉक्टर/विशेषज्ञ से चिकित्सा स्थिति /मानदंड के संबंध में प्राप्त प्रमाण-पत्र के आधार पर छूट प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा । प्रमाणपत्र पर व्यवस्था करने वाले केंद्र की आधिकारिक मुहर भी होनी चाहिए; तथापि, यह हस्ताक्षर का स्वीकृत विकल्प नहीं होगा ।

- चिकित्सा अधिकारी/अधिकृत स्वास्थ्य कार्मिक ऐसे व्यक्तियों को निम्ननिर्दिष्ट अनुच्छेद 23 के पैराग्राफ 4 के अनुसार टीकाकरण न करवाने और प्रोफिलैक्सिस के उपयोग न करने से जुड़े किसी भी जोखिम के बारे में सूचित करेगा ।

  (इन विनियमों के अनुसार टीका लगाए जाने वाले या प्रोफिलैक्सिस की पेशकश करने वाले यात्रियों, या उनके माता-पिता या अभिभावकों को टीकाकरण से जुड़े किसी भी जोखिम के बारे में या टीकाकरण न करवाने के साथ और देश के कानून और अंतरराष्ट्रीय दायित्वों के अनुसार प्रोफिलैक्सिस को उपयोग में लाने या न लाने के बारे में सूचित किया जाएगा । देशों द्वारा अपने कानून के अनुसार इन अपेक्षाताओं के बारे में चिकित्सकों को सूचित किया जाएगा|)

- संबंधित व्यक्ति को यह स्पष्ट रूप से सूचित कर दिया जाना चाहिए कि इस तरह का छूट प्रमाणपत्र उसे क्वारंटाइन से छूट प्रदान नहीं करेगा और यह भी कि संबंधित व्यक्ति को भ्रमण करने वाले देश (भारत सहित) के नियमों के अनुसार क्वारंटाइन के तहत रखा जा सकता है ।